न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 139/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बांरा
दायरा दिनांक 18.9.2020
किस्म अपीलः धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

बाबूलाल पुत्र बिरधीलाल जाति मीणा निवासी तुलसां तहसील व जिला बांरा (राज0)।

..... अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बांरा जिला बांरा ।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री धर्मेन्द्रसिंह सोलंकी अभिभाषक अपीलार्थी
राजकीय अभिभाषक–रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::

दिनांक 21.1.2021

1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे न्यायालय जिला कलक्टर बांरा द्वारा प्रकरण संख्य 182/2017 धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान बाबूलाल बनाम राज0 सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 30.8.2018 के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि तहसीलदार बांरा द्वारा दिनांक 18.3.2014 को निर्णय पारित कर अपीलांट को ग्राम तुलसां तहसील बांरा की आराजी खसरा नम्बर 1016 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म गै.मु. तलाई पर अतिक्रमी मानकर 400/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बांरा (प्रथम अपीलेट न्यायालय) मे अपील प्रस्तुत की गई जिसे प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.08.2018 से खारिज किया गया।

3 प्रथम अपीलेट अधिकारी, जिला कलक्टर बांरा द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 30.08.2018 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा मे द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास कर एक पक्षीय निर्णय/आदेश पारित किया था इस आधार पर परीक्षण न्यायालय का आदेश काबिल निरस्तनीय था जिस पर गौर किये बिना ही प्रथम अपीलेट अधिकारी द्वारा जेरअपील निर्णय प्रदान करने मे त्रुटि की है। उक्त आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नही है तथा आराजी खाली पडी हुई है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व निर्णय निरस्त किया

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

जाना विधि संगत हागा। अपीलांट द्वारा तावान की राशि जमा करवा दी गई है। कोई राशि बकाया नही है। यदि उक्त निर्णय की पालना मे अपीलांट को जेल मे रहना पडा तो अपीलांट के परिवार को काफी संकटो का सामना करना पडेगा। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश हरदो अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 30.8.2018 व दिनांक 18.3.2014 निरस्त करते हुये अपीलांट की सजा का आदेश निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

4 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सुनी गई।

5 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास कर तहसीलदार बांरा द्वारा दिनांक 18.3.2014 को एक पक्षीय निर्णय/आदेश पारित किया था इस आधार पर परीक्षण न्यायालय का आदेश काबिल निरस्तनीय था जिस पर गौर किये बिना ही प्रथम अपीलेट अधिकारी द्वारा जेरअपील निर्णय दिनांक 30.8.2018 पारित करने मे त्रुटि की है। बहस मे यह भी कथन किया कि उक्त आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नही है तथा आराजी खाली पडी हुई है। इस आधार पर परीक्षण न्यायालय का आदेश काबिल निरस्तनीय था जिस पर प्रथम अपीलेट अधिकारी द्वारा गोर नही कर त्रुटि की है। अतः अपीलाधीन हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां व जिला कलक्टर बांरा निरस्त किया जावे।

6 रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कथन किया कि तहसीलदार बांरा द्वारा दिनांक 18.3.2014 को निर्णय पारित कर अपीलांट को ग्राम तुलसां तहसील बांरा की आराजी खसरा नम्बर 1016 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म गै.मु. तलाई पर अतिक्रमी मानकर 400/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया। तहसीलदार बांरा का निर्णय न्यायोचित है, क्योंकि वादग्रस्त आराजी गै.मु. तलाई की भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नही है। प्रथम अपीलेट अधिकारी ने अपील प्रकरण मे तथ्यों का समुचित परीक्षण कर अपील को जेरअपील निर्णय दिनांक 30.8.2018 से खारिज किया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अपील खारिज की जाने योग्य है।

7 हमने पत्रवली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलांट द्वारा ग्राम तुलसां तहसील बांरा की आराजी खसरा नम्बर 1016 रकबा 0.80 हैक्टर पर अतिक्रमण किया गया है वह भूमि गै.मु. तलाई की है। गै.मु. तलाई की भूमि पर किसी व्यक्ति को कब्जा या अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व मे मिसल संख्या 683/11 निर्णय दिनांक 19.11.2011 से उक्त आराजी से अपीलार्थी को बेदखल किया जाना प्रमाणित है इससे अपीलांट का उक्त आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने की पुष्टि होती है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का यह कथन कि पटवारी की रिपोर्ट पर विश्वास कर तहसीलदार बांरा द्वारा एक पक्षीय निर्णय पारित किया है तहसीलदार बांरा की पत्रावली सं0 596/14 की आदेशिका दिनांक 18.3.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी बाबूलाल

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

निर्णय दिनांक 18.3.2014 को तहसीलदार बांरा के न्यायालय मे उपस्थित रहा है उसकी उपस्थिति के आदेशिका पर हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति मे एक पक्षीय निर्णय पारित किये जाने संबधी विद्वान अभिभाषक अपीलांट का तर्क निराधार होने से स्वीकार योग्य नही है। प्रथम अपीलेट अधिकारी जिला कलक्टर बांरा ने प्रकरण मे अपीलांट को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान करते हुये पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यों का समुचित परीक्षण कर जेरअपील निर्णय दिनांक 30.08.2018 से अपील अपीलांट खारिज कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.3.2014 को यथावत रखा है जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

8 परिणामस्वप, अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बांरा द्वारा प्रकरण संख्या–182/2017 मे पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 यथावत रखा जाता है।

9 निर्णय आज दिनांक 21.1..2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

21/1/2021

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा

कोटा संभाग, कोटा